कार्यालय : समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा

पत्रांक 1065 / आई.टी.डी.ए.,

31

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त, जामताड़ा
–सह–
परियोजना निदेशक,
आई.टी.डी.ए.
जामताड़ा।

सेवा में,

आदिवासी कल्याण आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

जामताड़ा, दिनांक 29-06-2017

विषय : जामताड़ा जिले के फतेहपुर अंचल अंतर्गत स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हेतु भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग : सरकार के संयुक्त सचिव कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 856 दिनांक 14.03.17 एवं सरकार के सचिव कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1732 दिनांक 13.06.17

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखण्ड अंतर्गत स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु 15 से 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अंचल अधिकारी, फतेहपुर का पत्रांक 464/रा0 दिनांक 13.06.17 के द्वारा मौजा चौकुंदा थाना संख्या 15 के अनावादी खाता संख्या 65 के दाग संख्या 179 में 10 (दस) एकड़ पुरातन पतित भूमि उपलब्ध कराई गई है तथा 5 एकड़ पतित जमीन चयन की प्रक्रिया में है (प्रति संलग्न)।

योजना का नाम	जिला/प्रखण्ड	पंचायत का नाम	मौजा/ग्राम का नाम	थाना संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, फतेहपर	जामताड़ा/फतेहपुर	चौकुंदा	चौकुंदा	15	खाता संख्या–65 खाता संख्या–179	10.0 एकड़	पुरातन पतित

पुनः इस कार्यालय का पत्रांक 1046/आई.टी.डी.ए., दिनांक 24.06.17 द्वारा अंचल अधिकारी, फतेहपुर को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हेतु कम से कम 15 से 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराते हुए विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई है। (प्रति संलग्न)

भवदीय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

29/6/17

उप विकास आयुक्त, जामताड़ा
–सह–
परियोजना निदेशक,
आई.टी.डी.ए.,
जामताड़ा।

29.6.17